अनुबंध

विवेकपूर्ण मानदंड - सीआरएआर की गणना के लिए जोखिम भार (एसटीसीबी/सीसीबी)

I. घरेलू परिचालन

क. निधिक जोखिम आस्तियां

आस्ति मदें			जोखिम भार
I	**शेष**		
	1	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित) और शेष	0
	2	अन्य बैंकों के चालू खाते में शेष	20
II	**निवेश**		
	1	सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
	2	केंद्र/राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	2.5
	3	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती केंद्र सरकार द्वारा गारंटीकृत है । (इसमें इंदिरा/किसान विकास पत्र (आईवीपी/केवीपी) में किया गया निवेश और उन बांडों और डिबेंचरों में निवेश शामिल है जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती केंद्र /राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है ।)	2.5
	4	अन्य प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है। ***नोट** : उन प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत है और जो अनर्जक निवेश हो गए हैं उन पर 102.5 प्रतिशत जोखिम भार लगेगा*	2.5
	5	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश जहां ब्याज का भुगतान और मूलधन की चुकौती केंद्र / राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत नहीं है ।	22.5
	6	सरकारी उपक्रमों की सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में ऐसा निवेश जो अनुमोदित बाजार ऋण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है ।	22.5
	7	वाणिज्य बैंकों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और राज्य सहकारी बैंकों पर दावे जैसे सावधि जमा, जमा प्रमाणपत्र, मांग और अल्प सूचना मुद्रा, आदि	22.5
	8	आखिल भारतीय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी बाण्डों में निवेश	102.5
	9	अपनी टीयर II पूंजी के लिए सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं (पीएफआई) द्वारा जारी बाण्डों में निवेश	102.5
	10	सभी अन्य निवेश ***नोट**: टीयर I की पूंजी में से घटा दी गई अगोचर आस्तियों और हानियों को*	102.5

		शून्य भार दिया जाना चाहिए।	
	11	`जब जारी' प्रतिभूतियों, स्क्रिपवार में तुलनपत्र से इतर निवल स्थिति	2.5
III	**खरीदे और भुनाए गए बिलों सहित ऋण और अग्रिम तथा अन्य ऋण सुविधाएं**		
	1	भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण और अग्रिम	0
	2	राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत ऋण	0
	3	राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऐसा अग्रिम जो अनर्जक आस्ति बन गया है	100
	4	भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) को दिए गए ऋण	100
	5	राज्य सरकारों के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को दिए गए ऋण	100
	6	आवास ऋण (i)व्यक्तियों को 30 लाख रुपए तक ऋण (रिहायशी संपदा को बंधक रखते हुए पूर्णत: सुरक्षित) (क) एलटीवी अनुपात 75 प्रतिशत के बराबर या उससे कम (ख) एलटीवी अनुपात 75 प्रतिशत से अधिक	 50 100
		(ii) आवास - अन्य	100
		**एलटीवी अनुपात की गणना खाते (अर्थात "मूलधन+उपचित ब्याज+ऋण से संबंधित अन्य प्रभार" को घटाए बिना) में कुल बकाया के प्रतिशत के `न्यूमरेटर' के रूप में और बैंक के पास बंधक रखी रिहायशी संपदा के वसूली योग्य मूल्य की गणना `डिनॉमिनेटर' में की जानी चाहिए*	
	7	वैयक्तिक ऋणों सहित उपभोक्ता ऋण	125
	8	सोना और चांदी के आभूषणों की जमानत पर एक लाख रुपए तक के ऋण ***नोट**: यदि ऋण राशि एक लाख रुपए से अधिक हो तो ऋण जिस प्रयोजन के लिए मंजूर किया गया हो उसके लिए समूची ऋण राशि पर जोखिम भार लगाया जाना है।*	50
	9	शैक्षिक ऋण सहित अन्य सभी ऋण और अग्रिम	100
	10	शेयरो/डिबेंचरों की मूल/संपार्श्विक जमानत पर दिए गए ऋण	125
	11	पट्टे पर आस्तियां	100
	12	डीआइसीजीसी/ईसीजीसी द्वारा रक्षा प्राप्त अग्रिम ***नोट** : 50% का जोखिम भार गारंटीकृत राशि तक सीमित होगा न कि खाते में बकाया संपूर्ण शेष तक । दूसरे शब्दों में, गारंटीकृत राशि से ऊपर की बकाया राशि पर 100% प्रतिशत जोखिम भार लगाया जाएगा ।*	50
	13	मीयादी जमाराशियों, जीवन बीमा पालिसियों, एनएससी, आइवीपी और केवीपी की जमानत पर अग्रिम जहां पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध है।	0
	14	राज्य/केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अपने स्वयं के स्टाफ को दिए गए ऋण और अग्रिम जो अधिवर्षिता लाभों और फ्लैट/मकान को बंधक रखे जाने से पूर्णत: सुरक्षित हैं	20
		***नोट**: जोखिम भार निर्धारण के प्रयोजन के लिए उधारकर्ता के सकल निधिक और गैर*	

		निधिक एक्सपोजर की गणना करते समय बैंक उधारकर्ता के कुल बकाया एक्सपोजरों के मुकाबले `नेट-ऑफ' कर सकते हैं।	
		(क) नकद मार्जिन या जमाराशि द्वारा संपार्श्विकृत अग्रिम	
		(ख) उधारकर्ता के ऐसे चालू या अन्य खाते में शेष क्रेडिट जो विशिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं हैं और किसी ग्रहणाधिकार से मुक्त हैं।	
		(ग) ऐसी किसी आस्ति के संबंध में जहां मूल्यह्रास या अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान किया गया है।	
		(घ) डीआईसीजीसी/ईसीजीसी से प्राप्त और संबंधित खातों में बकाया देय राशियों को समायोजित न किए जाने के मामले में समायोजन किए जाने तक एक अलग खाते में रखे गए दावे	
		(ड.) विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त और एक अलग खाते में रखी गई सब्सिडियां	
IV	**अन्य आस्तियां**		
	1	परिसर, फर्नीचर और फिक्सचर	100
	2	सरकारी प्रतिभूतियों पर देय ब्याज	0
	3	रिज़र्व बैंक के पास रखे सीआरआर शेषों पर उपचित ब्याज और सरकारी लेनदेन के कारण रिज़र्व बैंक पर दावे (ऐसे लेनदेनों के कारण बैंकों पर सरकार/रिज़र्व बैंक के निवल दावों का `नेट-ऑफ')	0
	4	स्टाफ ऋणों पर प्राप्य ब्याज	20
	5	बैंकों से प्राप्य ब्याज	20
	6	सभी अन्य आस्तियां	100
V.	**खुली स्थितियों में बाज़ार जोखिम**		
	1	विदेशी मुद्रा की खुली स्थिति में बाजार जोखिम (केवल प्राधिकृत डीलरों के लिए लागू)	100
	2	खुली स्वर्ण स्थिति में बाज़ार जोखिम	100

ख. तुलनपत्र से इतर मदें

तुलनपत्र से इतर मदों से जुड़े ऋण जोखिम एक्सपोज़र की गणना पहले तुलन पत्र से इतर प्रत्येक मद की अंकित राशि को "ऋण परिवर्तन कारक" द्वारा नीचे सारणी में बताए गए अनुसार गुणा करके की जाएगी। उसके बाद इसे ऊपर निर्दिष्ट संबंधित प्रति पक्ष (काउंटर-पार्टी) को दिए गए भारों से पुन: गुणा किया जाएगा ।

क्रम सं.	**लिखत**	**ऋण परिवर्तन कारक (%)**
1	प्रत्यक्ष ऋण प्रतिस्थापक, उदा. ऋणग्रस्तता की सामान्य गारंटियां (ऋणों और प्रतिभूतियों के लिए वित्तीय गारंटी के रूप माने जानेवाले आपाती साखपत्रों सहित) और स्वीकृतियां (स्वीकृति की विशेषता वाले परांकनों सहित)	100
2	कतिपय लेनदेन से संबंधित आकस्मिक मदें (उदा. विशेष लेनदेनों से संबंधित	50

	निष्पादन बाण्ड, बोली बाण्ड, वारंटियां और आपाती साख पत्र)	
3	अल्पावधि स्वयं समापनीय व्यापार संबंधी आकस्मिकताएं (जैसे कि विचाराधीन पोतलदान द्वारा संपार्श्विकृत दस्तावेजी ऋण)	20
4	बिक्री और पुनर्खरीद करार और आश्रय सहित आस्ति बिक्री जहां ऋण जोखिम बैंक को रहता है।	100
5	वायदा आस्ति खरीद, वायदा जमा और आंशिक रूप से प्रदत्त शेयर और प्रतिभूतियां जो कतिपय निकासी (ड्रा डाउन) के लिए प्रतिबद्धता दर्शाती हैं	100
6	नोट निर्गम सुविधाएं और परिक्रामी हामीदारी सुविधाएं	50
7	एक वर्ष से अधिक की मूल परिपक्वतावाली अन्य हामीदारियां (उदा. औपचारिक आपाती सुविधाएं और ऋण सुविधाएं)	50
8	एक वर्ष तक की मूल परिपक्वतावाली या बिना शर्त किसी भी समय निरस्त की जा सकने वाली ऐसी ही हामीदारियां	0
9.	i. अन्य बैंकों की प्रतिपक्षी गारंटियों की जमानत पर बैंकों द्वारा जारी गारंटियां ii. बैंकों द्वारा स्वीकृत दस्तावेजी बिलों की पुनर्भुनाई (बैंकों द्वारा भुनाए गए ऐसे बिल जिन्हें अन्य बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया है, उन्हें किसी बैंक पर निधिक दावे माना जाएगा) ***नोट*** *: ऐसे मामलों में बैंक इस बात से पूर्णत: आश्वस्त हो लें कि जोखिम एक्सपोज़र वास्तव में अन्य बैंकों पर है। खरीदे/भुनाए/साखपत्र के अधीन परक्रामित (जहां लाभार्थी को भुगतान `प्रारक्षित के अधीन' नहीं किया जाता है) बिलों को साख पत्र जारी करनेवाले बैंक पर एक्सपोजर माना जाएगा और ऋणकर्ता पर नहीं। ऊपर दर्शाए गए अनुसार सभी क्लीन निगोशिएशनों पर पूंजी पर्याप्तता प्रयोजन हेतु अंतर बैंक एक्सपोजर के लिए सामान्यत: लागू जोखिम भार लगाया जाएगा। यदि निगोशिएशन`प्रारक्षित के अधीन' किया गया है तो ऋणकर्ता पर एक्सपोजर होना चाहिए और तदनुसार जोखिम भार लगाना चाहिए।*	20 20
10.	कुल बकाया विदेशी मुद्रा संविदाएं जिनकी मूल परिपक्वता -	
	क) 14 कैलेण्डर दिनों से कम	0
	ख) 14 दिनों से अधिक परंतु एक वर्ष से कम	2
	ग) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष या उसके अंश के लिए	3
	नोट : *जोखिम भार देने के प्रयोजन से ऋणकर्ता के सकल निधिक और गैर निधिक एक्सपोजर की गणना करते समय बैंक उधारकर्ता के चालू या अन्य खातों में ऐसे ऋण शेषों के कुल बकाया एक्सपोजर के मुकाबले `नेट ऑफ' कर सकते हैं जो विशिष्ट प्रयोजन के लिए नहीं है और किसी ग्रहणाधिकार से मुक्त है।*	
	ऊपर निर्दिष्ट किए गए अनुसार "ऋण परिवर्तन कारक" द्वारा समायोजित तुलन पत्र से इतर मूल्य को संबंधित प्रति पक्ष (काउंटर पार्टी) को दिए गए भारों से पुन: गुणा किया जाएगा।	

***नोट** : वर्तमान में राज्य/केंद्रीय सहकारी बैंक (एसटीसीबी/सीसीबी) तुलन पत्र से इतर अधिकांश लेनदेन नहीं कर रहे होंगे। तथापि, विस्तार करने की उनकी क्षमता को देखते हुए विभिन्न तुलन पत्र से इतर ऐसी मदों के सामने भार दर्शाए गए हैं जिन्हें भविष्य में बैंक संभवत: करेंगे।*

II. भारतीय बैंकों के विदेशी कार्यों के संबंध में अतिरिक्त जोखिम भार (केवल प्राधिकृत डीलर के लिए लागू)

1. विदेशी मुद्रा और ब्याज दर संबंधी संविदाएं

(i) विदेशी मुद्रा संविदाओं में निम्नलिखित शामिल होगा

क. पारस्परिक मुद्रा ब्याज दर स्वैप

ख. वायदा विदेशी मुद्रा संविदाएं

ग. करेंसी फ्यूचर्स

घ. खरीदे गए मुद्रा विकल्प

ड. इसी प्रकार की अन्य संविदाएं

(ii) नीचे दिए गए अनुसार तुलन पत्र से इतर मदों के समान दो स्तरीय गणना लागू होगी:

(क) स्टेप 1 - हर लिखत का सांकेतिक मूलधन निम्नलिखित परिवर्तन कारक से गुणा किया जाता है:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	2%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	5% (अर्थात 2%+3%)
अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए	3%

(ख) स्टेप 2 - इस तरह से प्राप्त समायोजित मूल्य उपर्युक्त क में दिए गए अनुसार संबंधित प्रतिपक्ष को आबंटित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा ।

2. ब्याज दर संविदाएं

(iii) ब्याज दर संविदाओं में निम्नालिखित शामिल होगा:

क. एकल मुद्रा ब्याज दर स्वैप

ख. मूल स्वैप

ग. वायदा दर करार

घ. ब्याज दर फ्यूचर्स

ङ. खरीदे गए ब्याज दर विकल्प

च. इसी तरह की अन्य संविदाएं

iv) नीचे दिए गए अनुसार तुलन पत्र से इतर मदों के समान दो स्तरीय गणना लागू होगी:

(क) स्टेप 1 - हर लिखत का सांकेतिक मूलधन निम्नालिखित परिवर्तन कारक से गुणा किया जाता है:

मूल परिपक्वता	परिवर्तन कारक
एक वर्ष से कम	0.5%
एक वर्ष और दो वर्ष से कम	1.0%
अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष के लिए	1.0%

(ख) स्टेप 2 - इस तरह से प्राप्त समायोजित मूल्य उपर्युक्त `क' में दिए गए अनुसार संबंधित प्रतिपक्ष को आबंटित जोखिम भार से गुणा किया जाएगा ।

नोट: *वर्तमान में राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक विदेशी लेनदेन नहीं कर रहे हैं। तथापि, जिन्हें प्राधिकृत डीलर (एडी) का लाइसेंस दिया गया है वे उपर्युक्त लेनदेन कर सकते हैं। विशिष्ट लेनदेन के मुकाबले जोखिम भार सौंपने में कोई अनिश्चितता हो तो रिज़र्व बैंक से स्पष्टीकरण लिया जा सकता है।*